न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी
III/निगरानी/गुना/भू.रा/2018/0421

सीमंतीबाई पत्नि श्री बलराम सिंह दांगी
निवासी – खरियादांगी, तहसील आरोन,
जिला – गुना (म0प्र0)

—— आवेदिका

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.11.2017 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 587/2016–17/अपील।

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यहकि, आवेदिका ने खरियादांगी, तहसील आरोन, जिला गुना में स्थित अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 585 रकवा 0.377 हेक्टेयर में से रकवा 35 x 35 मीटर (13181 वर्गफीट) भूमि पर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड, भोपाल द्वारा कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु डीलरशिप दिये जाने से म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–172 के अन्तर्गत भूमि व्यपवर्तन किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी महोदय, आरोन के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र के संबंध में माननीय एस0डी0ओ0 महोदय द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की गई तथा अधीक्षक, भू–अभिलेख डायवर्सन से

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(8)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III /निग0/गुना/भू.रा./2018/0421 जिला–गुना

स्थान तथा दिनांक	श्रीमतीबाई कार्यवाही तथा आदेश मध्य प्रदेश शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02-02-18	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभि.उप. । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन किया गया । प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विवेचना को पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार गया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	